# ...यालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :— 19/2020

**उनवान**

1. आसीन अली पुत्र हुसैन जाति तेली मुसलमान निवासी कानपुरा

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

**बनाम**

1. दुर्गा पत्नी भंवरलाल
2. दिलखुश पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी कानपुरा
3. उपं पंजीयक नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :—

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

—: निर्णय :— दिनांक :— 11.11.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 77/69 खसरा नम्बर 986, 987 रकबा 0.28, 0.25 का विक्रय कर वादी को कब्जा व दखल सौंप दिया है तब से ही वादी वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादी को दर्ज रेकॉर्ड किया जावे। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दर्ज चली आ रही है। अतः वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज कियाजावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने एक राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की वादग्रस्त आराजीयात का सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी को कब्जा व दखल प्राप्त करा दिया एवं विक्रय दिनांक से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विकित ... वाद डिक्री कर दिया जावे तो को आपत्ती ऐतराज नहीं होने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

Scanned by CamScanner

राज0 पेरोकार ने जवाब पेश नहीं कर जाहिर कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे। प्रकरण में वाद के समर्थन में वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, जमाबन्दी संवत 2072–75, विक्रय पत्र, दस्तावेज प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने एवं प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं होने पर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–75 में करणा पुत्र बख्तावर, दुर्गा पत्नी भंवरलाल, दिलखुश पुत्र भंवरलाल अंकित है। जबकि विक्रय पत्र अनुसार दुर्गा पत्नी भंवरलाल, दिलखुश नाबालिग पुत्र भंवरलाल के द्वारा दिनांक 28.8.2014 को ही खाता संख्या 77/69 खसरा नम्बर 986, 987 रकबा 0.28, 0.25 पर अपने हक व हिस्से का बेचान आसीन अली पुत्र हुसैन जाति तेली मुसलमान निवासी कानपुरा को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया। साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की वादग्रस्त आराजीयात का सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी को कब्जा व दखल प्राप्त करा दिया एवं विक्रय दिनांक से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विकित भूमि का वाद डिकी कर दिया जावे तो को आपत्ती ऐतराज नहीं है। प्रकरण में खण्डन के कोई तथ्य नहीं है। विक्रयपत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः हाल अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर आसीन अली पुत्र हुसैन दर्ज करना उचित होगा।

अतः कानपुरा के खाता संख्या 77/69 खसरा नम्बर 986, 987 रकबा 0.28, 0.25 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी के हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

आसीन बनाम दुर्गा

दावा बाबत :– 88, 188, रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –19/2020
पेश करने की दिनांक – 12.2.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई प्रतिवादीगण मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

कानपुरा के खाता संख्या 77/69 खसरा नम्बर 986, 987 रकबा 0.28, 0.25 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाला है। उक्त आराजी के हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

**उपखण्ड अधिकारी**
**नसीराबाद**

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 11 सन् 2021 को जारी की गयी।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | स्टाम्प वकालतनामा |
| स्टाम्प वकालतनामा | स्टाम्प अरजी |
| स्टाम्प वजह सबूत | मेहनताना वकील |
| मेहनताना वकील | खर्चा गवाहान |
| फीस कमिश्नर | फीस कमिश्नर |
| खर्चा गवाहान | बाबत् इजराय हुक्मनामा |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | मुतफरिक |
| मुतफरिक | |
| मिजान | मिजान |

**उपखण्ड अधिकारी**
**नसीराबाद**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner